न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन आई.ए.एस.

अपील :: 12/2018 ::

अपीलांट :— बनाम रेस्पोडेन्टगण:—

रामस्वरूप पुत्र गोविन्दराम जाति घॉची
निवासी निम्बोल, तहसील जैतारण
जिला पाली (राज.)

1. जशोदादेवी पत्नी गोविन्दराम
2. गोविन्दराम पुत्र शंकरलाल
3. चेतनप्रकाश पुत्र गोविन्दराम
4. दामोदर पुत्र गोविन्दराम जातिगण घॉची निवासीगण निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 16 (1)माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थित :—
अपीलाण्ट श्री रामस्वरूप
रेस्पोडेण्ट संख्या 1 जशोदादेवी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 गोविन्दराम

—: **आदेश** :—

दिनांक :— 13/8/19

अपीलांट ने यह अपील अर्न्तगत धारा 16(1) माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण के न्यायालय के प्रकरण संख्या 02/2018 बअनवान जशोदादेवी वगैरा बनाम रामस्वरूप वगैरा में पारित आदेश दिनांक 27.08.2018 के विरुद्ध पेश की गई हैं। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन तथा मातहत अदालत से अपीलाधीन रेकार्ड तलब किया गया। दोनों पक्षो को सुना गया।

हाजिर अदालत अपीलाण्ट रामस्वरूप ने बताया कि उसके माता पिता के पास रूपये पैसे है, उनके द्वारा मातहत अदालत में विधीवत प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया, फिर भी उसे दर्ज रजिस्टर कर निर्णय पारित कर दिया, जो विधी विरूद्ध है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पास आय के पर्याप्त साधन है। लम्बे समय से उनके भरण पोषण की स्थिति क्या रही, इसका वर्णन नहीं किया है। ऐसे आवेदन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। रेस्पोडेण्ट की स्वयं की सम्पती से भरण पोषण न हो तो ही धारा 5 के तहत आवेदन किया जा सकता है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पास पर्याप्त कृषि भूमि एवं आय के साधन है। अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि बंटवाड़ा में उसके अन्य भाईयों को दूकान दी है, उसको नहीं दी गई है। कृषि भूमि भी है, जो कुल 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि गोविन्दराम के खातेदारी में है, उन्होंने एक अन्य खसरा नम्बर 5/1 एवं 306 की भूमि पर मारवाड़ ग्रामीण बैंक शाखा निम्बोल से रहन रख कर ऋण भी लिया है।

जिला मजिस्ट्रेट, पाली

रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के पास पैसे है, जो ब्याज पर चल रहे है तथा फिक्स डिपोजिट भी बैंक में कराई गई है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम एल.आई.सी. की कई सारी पॉलिसी होने का भी कथन किया है। अपीलाण्ट गरीब व्यक्ति है। उसके पास भूमि व दूकान नहीं है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 उसको भूमि एवं सम्पती से वंचित करना चाहते है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की आर्थिक स्थिति सुदृढ होने से वे भरण पोषण के अधिकारी नहीं है। कानून की धारा 5 (3) के अनुसार अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जो दिया जाना चाहिए था तथा समस्त तथ्यों की जांच एवं विवेचना नहीं की गई है। इन कारणों से उपखण्ड अधिकारी जैतारण का जैर अपील आदेश निरस्त योग्य है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 लम्बे समय से भरण पोषण अपीलाण्ट से ही प्राप्त कर रहे है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के मध्य फौजदारी एवं सिविल वाद भी विचाराधीन है। अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस कारण अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमावें।

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया कि उनके नाम जो मकान व दूकानें थी, उन्होंने अपने तीनों पुत्रों के नाम बख्शीश कर दी है, अब उनके नाम कुछ भी नहीं है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम मात्र 10–15 बीघा भूमि खातेदारी में है तथा वृद्ध व बीमार होने के कारण खेती नहीं कर सकते, न ही मजदूरी ही कर सकते है, वे निर्धन है। उन दोनों ने अपने पुत्रों से उनके भरण पोषण की मांग की तथा उनके द्वारा मना करने पर मजबूर होकर उन्होंने मातहत अदालत में भरण पोषण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। मातहत अदालत द्वारा हम रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 दोनों को 2500–2500 रूपये प्रत्येक पुत्र को भरण पोषण की राशि प्रतिमाह देने का आदेश दिया, जिनमें से एक पुत्र दामोदर ही भरण पोषण की राशि प्रतिमाह दे रहा है, दो नहीं दे रहे है। जिनमें अपीलाण्ट रामस्वरूप राशि नहीं दे रहा है। अन्य दोनों पुत्रों से भी भरण पोषण राशि दिलवाने के आदेश प्रदान करावें। जिससे हमारा गुजारा हो सके एवं उनके दवाईयॉ, कपड़े आदि का खर्चा निकल सके। अपीलाण्ट तेल का व्यापार करता है तथा आर्थिक स्थिति भी ठीक है, यह हमे भरण पोषण नहीं देना चाहता है। इनकी पत्नियां मासिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी करती है। गाली, गलौच भी करती है। उपरोक्त सभी कारणों के मध्यनजर उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा जो फैसला दिया गया है। उसकी पालना सुनिश्चित करावें। एक पुत्र दामोदर ही भरणपोषण की राशि 2500/– रूपये महावार दे रहा है। आदेशानुसार चेतन प्रकाश एवं रामस्वरूप से भी 2500/– रूपये मासिक प्रत्येक के भुगतान कराने की व्यवस्था करावें।

उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली एवं मातहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष के तर्को पर ध्यानपुर्वक मनन किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी सम्पती मकान व दूकाने तीनो पुत्रों को बख्शीश कर दी है तथा

जिला मजिस्ट्रेट, पाली

उनके रहवास हेतु पृथक से मकान नहीं है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 दोनों का गुजारा होना संभव नहीं है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 वृद्ध एवं बीमार है, जो खेती अथवा मजदूरी करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में दुख, सुख, बीमारी आदि में तथा भरण पोषण हेतु रेस्पोडेण्ट के समक्ष आर्थिक समस्या सर्वदा बनी रहती है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के नाम बैंकों में विभिन्न खातों में धन जमा होता तो भूमि मारवाड़ ग्रामीण बैंक निम्बोल शाखा में रहन रखने की स्थिति नहीं होती। भूमि रहन रखने से स्पष्ट है कि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है। अपनी दूकाने व मकान पहले ही अपने तीनों पुत्रों के नाम बख्शीश कर दिए जाने से, अन्य कोई आय का स्रोत नहीं है। ऐसी स्थिति में वृद्ध माता–पिता का सहारा पुत्रों को होना चाहिए, ऐसा उनका दायित्व भी है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 का भी यही पवित्र उद्देश्य है, ऐसे में मातहत अदालत द्वारा जो निर्णय किया गया है, वह पूर्णतया व्यावहारिक है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा प्रकरण संख्या 02/2018 जशोदा देवी बनाम रामस्वरूप वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2018 को यथावत रखा जाता है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 जशोदा देवी व 2 गोविन्दराम के तीन पुत्र है। जिनमें रामस्वरूप, चेतन प्रकाश एवं दामोदर में से एक पुत्र ही निर्णय दिनांक 15.06.2018 की पालना में अपने माता–पिता को 2500/– रूपये मासिक भरण पोषण राशि प्रदान कर रहा है, दो नहीं कर रहे है। उनके विरूद्ध संज्ञान लेकर माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की धारा 8(2) अनुसार सिविल न्यायालय की सभी शक्तियॉ प्रदत है तथा अधिकरण को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों हेतु सिविल न्यायालय होना माना गया है। जिसके प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जावे तथा जैसा कि रेस्पोडेण्टगण ने कथन किया कि उनके मकान व सम्पती को उन्होंने अपने पुत्रों के नाम बख्शीश कर दी है, तो इसी अधिनियम की धारा 23 के अनुसार अन्तरण को शुन्य पोषित किया जाने की भी कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति के साथ उपखण्ड अधिकारी, जैतारण को उनकी पत्रावली तथा अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्टगण को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 13/8/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला मजिस्ट्रेट, पाली
जिला कलेक्टर, पाली